2018 का विधेयक सं. 5

राजस्थान भूमि विधियां निरसन विधेयक, 2018
(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

कतिपय भूमि विधियों को निरसित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान भूमि विधियां निरसन अधिनियम, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. कतिपय भूमि विधियों का निरसन.- अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि विधियां इसके द्वारा निरसित की जाती हैं और राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 18) के उपबंध ऐसे निरसन पर लागू होंगे।

अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

क्र. सं.	वर्ष	अधिनियम सं.	अधिनियम का संक्षिप्त नाम
1	2	3	4
1.	1958	2	राजस्थान राजस्व विधियां (प्रसार) अधिनियम, 1957
2.	1960	30	राजस्थान जोत-समेकन संक्रिया विधिमान्यकारी अधिनियम, 1960
3.	1966	21	राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1966
4.	1979	6	राजस्थान कृषि-जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1979

उद्देश्यों और कारणों का कथन

जन सामान्य के प्रति राज्य की विधिक प्रणाली को और अधिक पहुंच योग्य बनाने के लिए इसमें सुधार करने और विधि के शासन के सिद्धान्तों को समाहित करने का राज्य सरकार का प्रयास, अन्य बातों के साथ-साथ, उन अधिनियमितियों के पुनर्विलोकन के साथ आरंभ हुआ है जो अप्रचलित और अनावश्यक हैं या जिन्हें पृथक् अधिनियमों के रूप में बनाये रखना अनावश्यक है। इस प्रक्रिया में 483 विधियों को पहले ही निरसित किया जा चुका है।

अब यह पाया गया है कि राजस्थान राजस्व विधियां (प्रसार) अधिनियम, 1957, राजस्थान जोत-समेकन संक्रिया विधिमान्यकारी अधिनियम, 1960, राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1966 और राजस्थान कृषि-जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1979 ने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया है और उनको कानूनी पुस्तक में बनाये रखना अनावश्यक है। इसलिए पूर्वोक्त चार अधिनियमों को भी निरसित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

अमराराम,
प्रभारी मंत्री।

(Authorised English Translation)

Bill No. 5 of 2018

THE RAJASTHAN LAND LAWS REPEALING BILL, 2018

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to repeal certain land laws.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Land Laws Repealing Act, 2018.

(2) It shall come into force at once.

2. Repeal of certain land laws.- The land laws specified in the Schedule are hereby repealed and the provisions of the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. 18 of 1955) shall apply to such repeal.

SCHEDULE

(See section 2)

S. No.	Year	Act No.	Short title of Acts
1	2	3	4
1.	1958	2	The Rajasthan Revenue Laws (Extension) Act, 1957
2.	1960	30	The Rajasthan Holdings Consolidation Operation Validating Act, 1960
3.	1966	21	The Rajasthan Land Revenue (Amendment and Validation) Act, 1966
4.	1979	6	The Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings (Amendment and Validation) Act, 1979

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government's endeavor to bring reform in the legal system of the State, to make it more accessible to the common man and to imbibe the principles of rule of law, has, *inter-alia*, began with the review of enactments which are obsolete and redundant or retention whereof as separate Acts are unnecessary. In the process 483 laws have already been repealed.

Now, it is found that the Rajasthan Revenue Laws (Extension) Act, 1957, the Rajasthan Holdings Consolidation Operation Validation Act, 1960, the Rajasthan Land Revenue (Amendment and Validation) Act, 1966 and the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings (Amendment and Validation) Act, 1979 have served their purposes and retention thereof on statute book is unnecessary. Therefore it is proposed that the aforesaid four Acts be also repealed.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

अमराराम,
Minister incharge.

2018 का विधेयक सं. 5

राजस्थान भूमि विधियां निरसन विधेयक, 2018

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)
राजस्थान विधान सभा

कतिपय भूमि विधियों को निरसित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,
सचिव।

(अमराराम, **प्रभारी मंत्री)**

Bill No. 5 of 2018

THE RAJASTHAN LAND LAWS REPEALING BILL, 2018

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to repeal certain land laws.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Prithvi Raj,
Secretary.

(Amra Ram, **Minister-Incharge**)